न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड)
पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
52 / 2023	15.12.2023	04.12.2024

उनवान

1. इन्दुबाला पत्नी सजंय कुमार जाति अहीर निवासी कोलीला सांगा तह0 नीमराना।

–:प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 01

बनाम

1. मैसर्स शुभराज इन्फ्राडवलवर्स प्रा0 लि0 गण्डाला तह. बहरोड़ जरियें डायरेक्टर राजकुमार पुत्र उदलसिंह जाति अहीर निवासी गण्डाला तह0 बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड।
2. माया देवी पत्नी सुवेसिंह जाति अहीर निवासी कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
3. रामरति पत्नी शेरसिंह जाति अहीर निवासी कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
4. देवी पत्नी छीतर जाति अहीर निवासी कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
5. बचनसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
6. बनेसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
7. कृष्णकुमार पुत्र लालाराम जाति अहीर निवासी कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
8. मुंशीसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
9. उपपंजीयक,नीमराना।
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।
11. पंजाब एण्ड सिंध बैक शाखा नीमराना जरिये शाखा प्रबन्धक ।
12. पंजाब एण्ड सिंध बैक शाखा करनीकोट जरिये शाखा प्रबन्धक ।
13. पंजाब नैशनल बैक शाखा बर्दोड जरिये शाखा प्रबन्ध।
14. युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा नीमराना जरिये शाखा प्रबन्धक ।

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं
आदेश 01 नियम 10 सपठीत धारा 151 जा0दी0

–::निर्णय::–

दिनांक :–04.12.2024

मत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. प्रार्थी / वादी द्वारा एक राजस्व वाद सं० 357 / 2022 उनवानी मैसर्सशभराज इन्फ्राडवलपर्स प्र०लि० व अन्य बावत इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी का इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 325 रकबा 1.16 है0, 324 रकबा 1.33 है0, 481 रकबा 0.59 है0, वाके ग्राम कोलीलासांगा तह० नीमराना मे स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 325 के वादी कम्पनी हिस्सा–3ध4 का व खसरा नम्बर 324 के वादी कम्पनी हिस्सा–1ध4 का व खसरा नम्बर 481 के वादी कम्पनी हिस्सा–1ध2 का खातेदार मालिक काबिज है तथा इसी अनुसार दावा के साथ संलग्न जमावन्दी संवत 2074 से 2077 के अनुसार प्रतिवादी सं० 1 लगा० 8 खातेदार काबिज है तथा आराजी मुतनाजा के मौके पर आराजी मुतनाजा के तरफ दक्षिण में जिन खातेदारो के हिस्से थे, उनसे उनका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजि० बयनामा के खरीद किया गया था और मौके पर भी वादी कम्पनी को उक्त आराजी के तरफ दक्षिण मे ही कब्जा दिया गया था जिस पर वादी कम्पनी वख्त, खरीद से आज तक काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है तथा वादी कम्पनी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान से तरफ दक्षिण मे लगता खसरा नम्बर 347 सालिम को भी खरीद किया हुआ है। इसलिए वादी कम्पनी खसरा नम्बर 347 एवं इससे लगता भाग खसरा नम्बर 325,324,481 का

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

कुर्रे रिपोर्ट तैयार करवाकर, उसे न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश कर, तकरीम की डिक्री दिनांक 27.07.2023 को प्राप्त करली गई। जो डिक्री खिलाफ मौका खिलाफ कानून, खिलाफ बाहमी बंटवारा के प्राप्त की गई हैजो डिक्री निम्न कारणो से अपारत की जाकर, पुनः सैटासाईड किया जाना न्याय संगत है।

2. (क) यह है कि उक्त अनुवानी दावा मे वादी द्वारा जो डाक रसीद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की जाकर, सभी प्रतिवादीगण की दिनांक 12.12.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही करवाई गई है जो डाक किसी भी प्रतिवादी को प्राप्त नही हुई बल्कि सभी डाको को वादी ने डाक विभाग के कर्मचारी से साज बाज होकर स्वंय ने प्राप्त कर ली गई। इसलिए किसी भी प्रतिवादीगण को उक्त अनुवानी दावा की जानकारी नही होने के कारण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उपस्थित नही हो सके। ऐसी सूरत मे उक्त अनुवानी दावा मे न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय दिनांक 27.07.2023 को अपास्त किया जाकर उक्त अनुवानी पत्रावली मे मिन प्रार्थीया/प्रति० सं० 1 की एक तरफा कार्यवाही दिनांक 12.12.2022 को निरस्त किया जाकर, पुनः सुनवाई कर, निर्णय पारित किया जाना न्याय संगत है।

(ख) यह है कि उक्त अनुवानी पत्रावली मे सभी प्रतिवादीगण की तामिल एक –साथ डाक से भेजी गई और कोई भी प्रतिवादी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उपस्थित नही हुऐ ऐसा सम्भव नही हो सकता है। क्योकि प्रतिवादी सं० 9 व 10 उप पंजीयक नीमराना व तहसीलदार नीमराना है जो नीमराना तहसील मे उपस्थित रहते है और प्रतिवादी सं० 11 लगा. 14 बैंक है जिनको अगर डाक मिलती तो वो जरूर न्यायालय मे उपस्थित होते। इससे साफ जाहीर होता है कि वादी द्वारा किसी भी प्रतिवादी के पास डाक नही जाने दी और स्वंय ने सभी की डाक प्राप्त कर, न्यायालय श्रीमान् के समक्ष डाक रसीद पेश कर, न्यायालय श्रीमान् को गुमराह करते हुऐ दावा मे प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर एक पक्षीय कुर्रे रिपोर्ट व एकपक्षीय निर्णय पारित करवाया गया है जो निर्णय अपास्त किया जाकर, पुनः सैटासाईड किया जाना न्याय संगत है।

(ग) यह है कि उक्त अनुवानी दावा मे वादी द्वारा करवाई गई कुल कार्यवाही एक पक्षीय एवं वादी के हित की कार्यवाही है। इसलिए एक पक्षीय कार्यवाही के आधार पर पारित डिक्री दिनांक 27.07.2023 अपास्त किये जाकर पुनः सैटाईड किये जाने योग्य है।

(घ) यह है कि दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 325 वाके कोलीलासांगा की जिस प्रकार से कुर्रे रिपोर्ट वादी द्वारा तैयार करवाई गई है वह बिलकुल गलत एवं अपने हित मे खिलाफ मौका खिलाफ कानून, खिलाफ बंटवारा करवाई गई है। जिस गलत एवं एक पक्षीय कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी /वादी द्वारा प्राप्त किया गया निर्णय दिनांक 27.07.2023 अपास्त होने योग्य है।

3. खसरा नम्बर 325 के मिन प्रार्थीया व अप्रार्थी/वादी खरीददार खातेदार है। उक्त खसरा नम्बर के मूल खातेदारो द्वारा उक्त आराजी का मौके पर कदीम से बाहमी बंटवारा किया हुआ था जिस बंटवारा के आधार पर खसरा नम्बर 325 में से 1ध्4 हिस्सा तरफ पुर्व का मिन प्रार्थीया ध प्रतिवादनी सं० 1 व प्रतिवादनी सं0 2 व 3 द्वारा जरिये रजि० बयनामा के खरीद किया था और मौके पर उक्त खसरा नम्बर के तरफ पूर्व मे ही हमे विक्रेतागण ने कब्जा दिया था था तथा बाद मे उक्त खसरा नम्बर के अन्य सहखातेदारो से वादी कम्पनी द्वारा उनका हिस्सा 3/4 खरीद किया था जिनके द्वारा मौके पर वादी कम्पनी को मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक तरफ पश्चिम में कब्जा दिया था। इसी अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। मिन प्रार्थीया / प्रति० सं० 1 व प्रतिवादी सं० 2 व 3 आज भी मौके पर खसरा नम्बर 325 के तरफ पूर्व मे काबिज रहकर अपने हिस्से पर फसल सरसो की काश्त कर रखी है। लेकिन अप्रार्थी/वादी द्वारा गैर कानूनी तरीके से हमारी एक तरफा करवाकर,

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

एक तरफा मे बिना मिन प्रार्थीया की जानकारी मे हित में कुर्रे कायम करवाकर, एक पक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली गई है जो अपास्त होने योग्य है।

(च) यह है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा गलत तरीके से मिन प्रार्थीया ६ प्रतिवादनी सं० 1 व अन्य प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर, एक पक्षीय डिक्री प्राप्त करली गई है। जिस गलत एवं अविधिक तरीके से प्राप्त डिक्री की पालना रिकार्ड में करवाकर, अप्रार्थी मौके पर भी कब्जा करने की कौशिश करेगा। जिस समय मौके पर कब्जा को लेकर भारी झगडा एवं खुन खराबा हो सकता है ऐसी सूरत में न्याय हित मे राजस्व वाद सं० 257/22 उनवान मैसर्स शुभराज इन्फ्राडवलपर्स प्रा०लि० बनाम इन्दूबाला व अन्य मे पारित डिक्री दिनांक 27.07. 2023 को अपास्त किया जाकर, उक्त अनुवानी प्रकरण मे मिन प्रार्थीया की एक पक्षीय कार्यवाही खोली जाकर, प्रकरण मे दोनो पक्षो को सुनवाई के समूचित अवसर दिये जाकर निर्णय को सैटासाईड कर, पुनः निर्णय पारित किया जाना न्याय संगत है।अप्रार्थी / वादी द्वारा गलत तरीके से मिन प्रार्थीया/ प्रतिवादनी सं० 1 व अन्य प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर, एक पक्षीय डिक्री प्राप्त करली गई है। जिस गलत एवं अविधिक तरीके से प्राप्त डिक्री की पालना रिकार्ड मे करवाकर, अप्रार्थी मौके पर भी कब्जा करने की कौशिश करेगा। जिस समय मौके पर कब्जा को लेकर भारी झगडा एवं खुन खराबा हो सकता है। ऐसी सूरत मे न्याय हित मे न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2023 को स्थगित किया जाकर, अप्रार्थी ध्वादी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो उक्त अविधिक तरीके से एवं न्यायालय श्रीमान् को गुमराह कर, प्राप्त निर्णय दिनांक 27.07.2023 की आड मे खसरा नम्बर 325 वाके ग्राम कोलीलासांगा तह० नीमराना के तरफ दक्षिण भाग पर जबरन कब्जा नही करे तथा ना ही प्रार्थीया को मौके पर अपने हिस्से पर काबिज रहकर फसल बोने काटने मे किसी प्रकार की दिक्कत बाजी करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे। बाज आवे।

4. उक्त अनुवानी दावा मे पारित निर्णय व डिक्री न्यायालय श्रीमान् द्वारा एक तरफा मे पारित की गई। जिसे पुनः सैटासाईड करने बाबत प्रार्थना पत्र श्रवण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है।

5. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद सं0257/22 उनवान मैसर्स शुभराज इन्फाडवलपर्स प्रा०लि० बनाम इन्दूबाला व अन्य की पत्रावली रिकार्ड से तलब फरमाई जाकर उक्त प्रकरण मे प्रार्थीया/प्रति० सं०1 की एकतरफा कार्यवाही दिनांक 12.12. 2022 को निरस्त किया जाकर, प्रार्थी / प्रति० सं०1 को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया जाकर, उक्त प्रकरण मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.07. 2023 को अपास्त किया जाकर पुनः सैटासाईड किया जाने की कृपा करे ।

6. प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण / वादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बाद तामिल अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीया के प्रा0पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र कतई गलत है स्वीकार नही है। मिन अप्रार्थी ध्वादी द्वारा दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करने पर न्यायालय श्रीमान् के आदेश से प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड डाक से तामिल भरी गई। प्रतिवादीगण की तामिल न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादीगण के पास भेजी गई। जो सभी डाक प्रतिवादीगण को एवं प्रार्थीया /प्रतिवादनी सं० 1 को प्राप्त हुई है। लेकिन प्रार्थीया / प्रतिवादनी सं० 1 एवं अन्य सभी प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड डाक से तामिल प्राप्त होने के बावजूद भी न्यायालय मे नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा फिर भी न्यायालंय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के आधार पर आराजी मुतनाजा को तकसीम करनें से पुर्व दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार नीमराना द्वारा भी प्रतिवादीगण को मौके पर उपस्थित होने के लिए सूचना दी थी। लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण व प्रार्थीया / प्रतिवादनी सं० 1 मौके पर उपस्थित नही हुऐ तो

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

तहसीलदार नीमराना द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना मे आराजी मुतनाजा मे सभी का हिस्सा रोड से लगता हुआ के हिसाब से कुर्रे रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जिस कुर्रे रिपोर्ट की प्रतिवादीगण को पूर्ण जानकारी होने पर भी प्रतिवादीगण कुर्रे रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। इसलिए न्यायालय श्रीमान् द्वारा विधिवत रूप से कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर तकसीम की डिक्री दिनांक 27.07.2022 को पारित की गई है। जो तकसीम की डिक्री कानूनन सही पारित की गई है जो किसी प्रकार से भी अपास्त कर, पुनः सैटासाईड करने योग्य नही है। लेकिन प्रार्थीया / प्रतिवादनी सं० 1 बिना वजह डिक्री की राजस्व रिकार्ड मे पालना मे अडचन पैदा करने के लिए यह गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है खारिज किया जावे।

(क) जिमन नम्बर क प्रार्थना पत्र कतई गलत है स्वीकार नही है। जिमन मे कुल तथ्य गलत व मनमाने दर्ज किये गये है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के पास दावा की सूचना के लिए रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई तामिल सभी प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। वादी द्वारा डाक विभाग के कर्मचारी से कभी नही मिला प्रतिवादीगण के पास रजि० डाक से तामिल भेजने की प्रक्रिया न्यायालय की है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण तारीख पेशी दिनांक 12.12.2022 को विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, और न्यायालय श्रीमान् द्वारा तकसीम की विधिवत रूप से डिक्री पारित करने से पुर्व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर, तहसीलदार नीमराना से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार नीमराना द्वारा भी प्रतिवादीगण को मौके पर उपस्थित होने बाबत सूचना दी थी। लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुऐ जबकि प्रतिवादीगण एवं प्रार्थीया को उक्त अनुवानी दावा व उसमे होने वाली कार्यवाही की पूर्ण जानकारी थी। न्यायालय द्वारा तकसीम की डिक्री कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर विधिवत रूप से पारित की गई है। जो निर्णय किसी प्रकार से भी अपास्त किया जाकर पुनः सैटासाईड करने योग्य नही है। प्रतिवादीगण जानबुझकर बावजूद सुचना के भी न्यायालय मे उपस्थित नही हुऐ ओर अब गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी ६ वादी को तंग व परेशान करने एवं प्रकरण को लम्बा करने के आशय से पेश किया गया है जो प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है खारिज किया जावे।

(ख) जिमन नम्बर ख प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से दर्ज किया गया है गलत है स्वीकार नही है। न्यायालय द्वारा दावा की सूचना के लिए सभी प्रतिवादीगण की एक साथ रजिस्टर्ड तामिल भेजी है और सभी तामिल प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। लेकिन प्रतिवादीगण जानबुझकर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही विधिवत रूप से की जाकर, दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया और प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार नीमराना आराजी मुतनाजा के मौके पर जाकर कुर्रे रिपोर्ट तैयार की गई। जिसकी भी सूचना प्रतिवादीगण को तहसीलदार महोदय द्वारा दी गई थी। तहसीलदार महोदय द्वारा निष्पक्ष रूप से सभी खातेदारो का हिस्सा रोड से लगते हुऐ के हिसाब से कुर्रे रिपोर्ट तैयार कर, न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई। न्यायालय श्रीमान् द्वारा कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन कर, वादी के वाद पत्र को विधिवत रूप से दिनांक 27.07.2023 को डिक्री किया गया है। जिसमे वादी द्वारा न्यायालय को किसी प्रकार से भी गुमराह नहीं किया गया है ना ही न्यायालय को कोई गलत सूचना दी गई है। बल्कि न्यायालय द्वारा दावा मे सभी प्रोसिडिंग पुरी करते हुऐ दावा डिक्री किया गया है। जो निर्णय व डिक्री किसी भी प्रकार से अपास्त कर पुनः सैटासाईड करने योग्य नही है। प्रार्थीयाध्रतिवादनी सं० 1 द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। जबकि आराजी मुतनाजा के अन्य सभी सहखातेदारो ६ प्रतिवादीगण को न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय से कोई आपत्ति नही है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाना न्याय संगत है।

(ग) जिमन नम्बर ग प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नही है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही नही की गई है ना ही न्यायालय द्वारा की गई सभी कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

वादी के हित की कार्यवाही है। बल्कि प्रतिवादीगण को न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए दावा की रजि० डाक से तामिल भेजी गई है। जो तामिल प्रार्थीया / प्रतिवादनी सं० 1 व अन्य प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। जिसके बावजूद भी प्रतिवादीगण जानबुझकर न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही कर, दावा मे सुनवाई करते हुऐ विधिवत रूप से तकसीम की डिक्री पारित की गई है। जो डिक्री किसी प्रकार से भी अपास्त किया जाकर पुनः सैटासाईड करने योग्य नही है। बल्कि प्रार्थीया/प्रतिवादनी सं० 1 का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है खारिज किया जावे

(घ) जिमन नम्बर घ प्रार्थना पत्र कतई गलत है स्वीकार नही है खसरा नम्बर 325 वाके ग्राम कोलीलासांगा के मौके पर सभी खातेदारो का हिस्सा रोड से लगती हुऐ के हिसाब से तहसीलदार नीमराना द्वारा निष्पक्ष रूप से कुर्रे रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश की गई है। जो कुर्रे रिपोर्ट किसी प्रकार से भी गलत एवं मौका के विपरीत नही है और कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा तकसीम की डिक्री सही पारित की गई है। जो डिक्री किसी प्रकार से भी अपास्त करने योग्य नही है। बल्कि प्रार्थीया/ प्रतिवादनी सं० 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खिलाफ मौका, खिलाफ कानून, नियम विरूद्ध तरीके से पेश करने के कारण चलने योग्य नही है काबिल खारिज है खारिज किया जावे।

(ड) जिमन नम्बर ड प्रार्थना पत्र कतई गलत है स्वीकार नही है। जिमन मे कुल तथ्य गलत एवं मिथ्या दर्ज किये गये है। आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रतिवादीगण के नाम से जितने हिस्से की खातेदारी दर्ज है। उसके मुताबिक तहसीलदार नीमराना सभी का हिस्सा रोड से लगता हुआ दर्शित करते हुऐ निष्पक्ष रूप से कुर्रे रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई थी। जिस कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा तकसीम की डिक्री पारित की गई है। जो डिक्री किसी प्रकार से भी वादी/अप्रार्थी के पक्ष की डिक्री नहीं है बल्कि सभी खातेदारो के हित की डिक्री है। जिससे प्रार्थीया / प्रतिवादनी सं० 1 के अलावा किसी भी प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। लेकिन प्रार्थीया द्वारा डिक्री की पालना मे बिना वजह अडचन पैदा करने एवं प्रकरण को लम्बा करने के आशय से गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है काबिल खारिज है खारिज किया जावे।

(च) जिमन नम्बर च प्रार्थना पत्र कतई गलत है स्वीकार नही है। दावा की सूचना प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा रजि० डाक से भेजी गई है। जो न्यायालय की प्रक्रिया है। वादी द्वारा रजि० डाक नही भेजी गई। न्यायालय द्वारा रजि० डाक दावा की सूचना बाबत प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। लेकिन प्रतिवादीगण जानबुझकर न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर, दावा मे प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई और प्रारम्भिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण को मौके पर उपस्थित होने बाबत सूचना दी गई तब भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये तो तहसीलदार साहब द्वारा निष्पक्ष रूप से कुर्रे रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई, जिसके आधार पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा तकसीम की अंतिम डिक्री पारित की गई है। इसलिए प्रतिवादीगण एवं प्रार्थीयाध्प्रतिवादनी सं० 1 जानबुझकर दावा की पैरवी के लिए सूचना के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। जबकि न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को सुनवाई करने एवं अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया है। इसलिए जानबुझकर दावा की पैरवी के लिए उपस्थित नहीं होने पर, की गई एक तरफा कार्यवाही एवं पारित निर्णय किसी प्रकार से अपास्त किये जाने योग्य नहीं है और यह देखा जावे तो न्यायालय द्वारा पारित तकसीम की डिक्री से प्रतिवादीगण को कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है बल्कि उनके हिस्सेनुसार रोड से लगते भाग के मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री किया गया है। जो निर्णय व डिक्री किसी प्रकार से भी अपास्त होने योग्य नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है खारिज किया जावे।3 जिमन नम्बर 3 प्रार्थना पत्र कतई गलत है स्वीकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

जिमन मे कुल तथ्य गलत एवं मनमाने दर्ज किये गये है। आराजी मुतनाजा मे वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी हिस्से के मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय द्वारा तकसीम की डिक्री पारित की गई है। दावा मे जानबुझकर प्रतिवादीगण बाद तामिल उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनकी विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही कर, दावा मे निर्णय पारित किया गया है जो न्यायालय की प्रक्रिया है जिसमे वादी की कोई मिल्लत नही है। आराजी मुतनाजा मे सभी खातेदार यानि वादी व प्रतिवादीगण जिस प्रकार से मौके पर काविज है उसी अनुसार आराजी मुतनाजा मे तकसीम की डिक्री पारित की गई है। इसलिए मौके पर कब्जा लेन देन को लेकर कोई किसी प्रकार का झगडा एवं विवाद होने की सम्भवना नही है। लेकिन प्रार्थीया ६ प्रतिवादनी सं० 1 द्वारा बिना वजह विवाद की स्थिती पैदा करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा निष्पक्ष रूप से विधिवत रूप से तकसीम की डिक्री पारित की गई है जिस डिक्री के प्रचलन को स्थगित नही किया जा सकता है। ना ही जिस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को उसी न्यायालय द्वारा स्थगित किया जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। प्रार्थीया ६ प्रतिवादनी सं० 1 जानबुझकर बावजूद रजि० तामिल के न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण, न्यायालय द्वारा एक पक्षीय डिक्री विधिवत रूप से पारित की गई है। जिस डिक्री को प्रार्थीया/प्रति० सं० 1 किसी प्रकार से भी स्थगित करवाने एवं वादी/प्रार्थी को पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाना न्याय संगत है। जिमन नम्बर 4 प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर उपस्थित नही होने पर एक तरफा में निष्पक्ष रूप से डिक्री पारित की गई है। जिसकी बाबत प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष नहीं चल सकता है ।

7. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रार्थीया/ प्रति० सं० 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

8. जवाब प्रस्तुत होन पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई हमन बहस पर मनन किया तथा मूल वाद की पत्रावली का अवलोकन किया मूल वाद की पत्रावली के संलग्न तामीली रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीया/ प्रतिवादीया इन्दूबाला की तामिल जरिये रजि0 डाक दिनांक 09.11.2022 को भेजी गई थी परन्तु प्रार्थीया / प्रति न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुई थी इसलिए प्रार्थीया के विरूद्व दिनांक 12.12.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे ला जाकर वादी का वाद दिनांक 12.12.2022 को प्रा0डिक्री किया जाकर तहसीलदार, नीमराना को मौके पर आराजी विवादित के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा मे भिजवाये जाने के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार, भू0अ0नि0 व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.07.2023 को आराजी विवादित के मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को विजवाये गये थे। प्रार्थीया इन्दूबाला की तामील जरिये रजि0 डाक दिनांक 09.11.2022 को भिजवाई गई थी तथा दिनांक 12.07.2023 को तहसीलदार ,भू0अ0नि0 व पटवारी हल्का मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था। ऐसी स्थिति मे यह नही कहा जा सकता की प्रार्थीया/प्रति0 इन्दूबाला को वाद की जानकारी नही रही हो। न्यायालय हाजा द्वारा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन की डिक्री 27.07.2023 को जारी की गई है जिसके संदर्भ मे लगभग 03 माह से अधिक अवधि पश्चात यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थना पत्र स्वत ही मियाद बाहर है। प्रार्थीया/प्रतिवादीया इन्दूबाला द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि मे कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया है। मूल वाद मे की गई समस्त कार्यवाही का इन्दूबाला को बाखूबी इल्म रहा है क्योंकि वादीया भी ग्राम कोलील सांगा की निवासी है एंव विवादित भूमि भी कोलीला सांगा की है कुर्रे कायमी के वक्त मौके पर तहसीलदार व कानूनगों मय पटवारी हल्का गये थे तो ग्राम मे सभी को इस संदर्भ होना स्वाभाविक है परन्तु फिर भी प्रार्थीयां को निर्णय व डिक्री से कोई गुरेज था तो सक्षम न्यायालय मे अपील दायर करनी चाहिए थी ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया द्वारा पेश प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 विधि विरूद्व है, प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण काबिल खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

9. अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीया/ प्रतिवादी संख्या 01 इन्दूबाला पत्नी संज द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)